



उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम

परिवहन भवन टिहरी कोठी, लखनऊ - 221111

दूरभाष : 0522-2621737, 2274250

फैक्स : 0522-2623578, 2515526

पत्र सं० 260 आरडब्ल्यूए/14-3A/दुर्घटना/सुनिश्चित/14CTO

दिनांक: 26 मई, 2014

समस्त क्षेत्रीय प्रबन्धक/सेवा प्रबन्धक,
उ०प्र० परिवहन निगम।

विषय: बस से दुर्घटना कारित होने पर आईटीएमएस0 परियोजना के अन्तर्गत वीटीएमएस0 प्रणाली का लाभ लेकर उसकी समीक्षा करने के संबंध में।

कृपया विषयांकित प्रकरण में पत्र सं० 210 आरडब्ल्यूए/2014 दिनांक 16.04.2014 का संदर्भ ग्रहण करें।

एक दुर्घटनाग्रस्त बस की वीटीएस कें माध्यम से समीक्षा करने पर यह प्रकाश में आया है कि दुर्घटना के पूर्व बस 82 कि०मी०/घंटे की गति से संचालित की जा रही थी। निविदावित रूप से विभिन्न अध्ययन इसकी पुष्टि करते हैं कि तीव्र चालन दुर्घटना का एक प्रमुख कारण है।

अतः निम्नांकित निर्देश दिए जाते हैं:-

1. प्रतिदिन सभी अधिकारीगण वीटीएस पोर्टल को खोलकर अपने डिपो/क्षेत्र से संबंधित बसों की समीक्षा करेंगे, जिनके संबंध में पोर्टल में तीव्र गति चालन की चेतावनी प्रदर्शित हो रही है। समीक्षा करने के उपरान्त यह सुनिश्चित करेंगे कि तीव्र गति से बस चालन की प्रवृत्ति पर प्रभावी अंकुश लग सके।
2. समस्त अधिकारी डिपो में अधिनस्थ उपाधिकारियों को एवं चालक/परिचालक को इस योजना के संबंध में जागरूक करेंगे जिससे उन्हें योजना से हो रहे लाभ एवं सुविधाओं की जानकारी हो सके तथा उन्हें यह भी ज्ञात हो सके कि जानबूझकर त्रुटि करने की अवस्था में उनकी समीक्षा कर दण्डित किया जा सकता है।
3. आईटीएमएस योजना के संबंध में जारी विस्तृत निर्देश पुनः इस उद्देश्य से संलग्न कर उपलब्ध कराये जा रहे हैं कि इस संबंध में हो रही जिज्ञासाओं एवं भ्रांतियों का यथा निराकरण संभव हो सके एवं योजना के उद्देश्य की पूर्ति संभव हो।
4. दुर्घटनाग्रस्त वाहनों के संबंध में वीटीएस पोर्टल से अमुक्त बस की गति का इतिहास डाउनलोड करके उसकी समीक्षा कर यदि दुर्घटना तीव्र बस चालन से कारित हुई है तो उत्तरदायी कर्मचारी को दण्डित करने की कार्यवाही अवश्य की जाय।

कृपया उक्त का अनुपालन कड़ाई से सुनिश्चित किया जाय।

संलग्नक: यथावत।

(मुकेश कुमार मेश्राम)
प्रबन्ध निदेशक

प्रतिलिपि: समसंख्यक/समदिनांकित।

- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
1. परिवहन निगम मुख्यालय के समस्त अधिकारी (अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक को छोड़कर) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
 2. समस्त नोडल अधिकारी, परिवहन निगम मुख्यालय, लखनऊ।
 3. समस्त सहायक क्षेत्रीय प्रबन्धक, उ०प्र० परिवहन निगम।

(मुकेश कुमार मेश्राम)
प्रबन्ध निदेशक